न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ
पीठासीन अधिकारी श्री अतहर आमिर उल शफि खान आई.ए.एस.

करण संख्या 90/2018

उनवान

1 मैसर्स मेस्कॉट फेशन प्रा0लि0 जरिये डायरेक्टर श्री अंकूरपिता ज्ञानचन्द जैन निवासी 502 आरचिट प्लाजा बोरोवली, वेस्ट मुम्बई –प्रार्थीया

बनाम

1 चेयरमेन स्पीनर्स ए यूनिट ऑफ चेयरमेन सिल्क मिल्स प्रा0लि0 रजिस्टर्ड पता द्वारा रामलाल हरकराम 95, सदर बाजार भीलवाडा राज. कार्पोरेट संख्या 17–08256 सन् 1994–95 जरिये महेन्द्र अग्रवाल पिता मदनलालअग्रवाल निवासी सी–92,93 शास्त्रीनगर भीलवाडा

2 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ –अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956
निर्णय दिनांक 20.06.2019

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भूँ–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस कार्यालय में दिनांक 28.09.2018 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम नाथडियास पटवार हल्का बिलियाकंला भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र खैराबाद तहसील हमीरगढ में उसके खाते की कृषि भूमि आराजी नम्बर 168 रकबा 04 बिस्वा, आ0नं0 169/1 रकबा 14 बिस्वा, आ0नं0 170 रकबा 01 बीघा, 171/1 रकबा 05 बीघा 01 बिस्वा, आ0नं0 173/1 रकबा 19 बिस्वा, आ0नं0 209 रकबा 09 बिस्वा, आ0नं0 210 रकबा 12 बिस्वा, आ0नं0 212 रकबा 19 बिस्वा कुल किता 08 रकबा 09 बीघा 18 बिस्वा भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पडौसी है प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहा है। इसलिए प्रार्थी अपने खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 28.09.2018 को पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित विपक्षी संख्या 01 से 07 बावजूद विधिवत प्रक्रियानुसार सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त उपस्थित नही है। अतः न्यायहित में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया। प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का ध्यापपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य है कि प्रार्थी स्वंय के खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार के हेराफेरी होने का कोई अंदेशा नही है तथा न ही किसी प्रकार अधिकार/स्वत्व निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर आवेदन प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार हमीरगढ को आदेश दिये जाते है कि ग्राम नाथडियास पटवार हल्का बिलियाकंला भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र खैराबाद तहसील हमीरगढ में उसके खाते की कृषि भूमि आराजी नम्बर 168 रकबा 04 बिस्वा, आ0नं0 169/1 रकबा 14 बिस्वा, आ0नं0 170 रकबा 01 बीघा, 171/1 रकबा 05 बीघा 01 बिस्वा, आ0नं0 173/1 रकबा 19 बिस्वा, आ0नं0 209 रकबा 09 बिस्वा, आ0नं0 210 रकबा 12 बिस्वा, आ0नं0 212 रकबा 19 बिस्वा कुल किता 08 रकबा 09 बीघा 18 बिस्वा भूमि कि पत्थरगढी राजस्थान लैण्ड रेकार्ड नियम 1956 के प्रावधानो में निर्धारित प्रकिया के अनुसार की जावे तथा नियमानुसार निर्धारित शुल्क 900/– पक्षकार प्रार्थी राजकोष में जमा कराये, साथ ही कमिश्नर फीस 500/–रू0 की नियमानुसार अदसयगी प्रार्थी पक्षकार निर्धारित कमिश्नर को भुगतान करें।

आदेश आज दिनांक 20.06.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखा गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर रहे।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ़, भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner